अजी डॉक्टर साब, अब तो पढ़ाई कर लो!

हमारे देश के डॉक्टर एम.बी.बी.एस. करने के बाद या उससे ऊँची पढ़ाई करने के बाद मरीजों की सेवा में तन-मन से लग जाते हैं। मरीजों की सेवा शुरू करने के पहले उनको राज्य की मेडिकल कौंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टर अपने व्यवसाय में ऐसे लग जाते हैं कि वे यह भी भूल जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना भी आवश्यक है। तब मेडिकल कौंसिल को सरक्युलर निकालकर डॉक्टरों को जगाना होता है कि भाई, अपना रजिस्ट्रेशन तो फिर से रिन्यू करा लो।

हाल ही में, विश्व में चहुँमुखी प्रगति हुई है और मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई है। नई-नई बीमारियों का निदान और ईलाज करने के लिए नई-नई जाँच और नई-नई दवाएँ आई हैं, जिससे कि मरीजों को राहत पहुँचाई जा सके। परन्तु कई डॉक्टरों ने तो पढ़ना-लिखना छोड़ दिया और मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव उनको जो पढ़ाते हैं, उसके अनुसार दवाइयाँ लिखते हैं। जब मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया ने देखा कि डॉक्टरी जैसे मानवीय प्रोफेशन में भी गन्दगी आ गई है, तब उसे दूर करने के लिए सन् 2002 में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डॉक्टरों के लिए प्रोफेशनल कान्डक्ट, एटीकेट और इथिक्स रेग्यूलेशन्स लागू किये।

हमने डॉक्टरों का सेम्पल सर्वे करके पता लगाया तो यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि 98 प्रतिशत डॉक्टरों ने इन कोड ऑफ इथिक्स रेग्यूलेशन्स, 2002 को पूरी तरह पढ़ा ही नहीं है। इन रेग्यूलेशन्स में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक डॉक्टर को पाँच वर्ष की अवधि में कम-से-कम 30 घण्टे सी.एम.ई. के रूप में पढ़ाई करना है। तब ही उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो सकता है। सी.एम.ई. का अर्थ है-कन्टीन्यूइंग मेडिकल एजूकेशन। यदि कोई डॉक्टर अपने व्यवसाय में होने वाली नई-नई खोजों, दवाइयों, जाँचों के बारे में जानकारी नहीं रखेगा। सेमीनार में भाग नहीं लेगा तब वह पुरानी दवाइयों और पुराने तरीके से ही इलाज करता रहेगा और मरीज को पूरा फायदा नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक डॉक्टर को लगातार अपने प्रोफेशन का ज्ञान बढ़ाते रहना आवश्यक है।

एक कहावत है कि यदि वकील करना हो तो सबसे पुराने बुजुर्ग और अनुभवी वकील को करना चाहिए, जिससे वह अपने ज्ञान से नजीरें पेश करके अदालत में आपको विजय दिला सके, परन्तु यदि रोगमुक्त होना है तो नए से नए, ऊँची से ऊँची पढ़ाई किए हुए डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, जिससे कि वह नई-नई दवाइयों से आपकी बीमारी दूर कर सके। एक वकील की लाइब्रेरी देखने से उसके ज्ञान का अंदाजा लग सकता है, पर आजकल कौन डॉक्टर पुस्तक खरीद कर पढ़ता है ?

इसके अलावा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया ने अनेक नियम बनाए हैं जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। उन नियमों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न लिखे हैं, जिनके उत्तर की जानकारी होना, प्रत्येक एलोपैथी डॉक्टर के लिए आवश्यक है-

1. रोगियों का रिकार्ड कितने वर्ष तक रखना होगा ?
2. रिकार्ड किस फार्मेट में रखना चाहिए ?
3. मरीज को रिकार्ड कितने दिन में उपलब्ध कराना चाहिए ?
4. क्या चिकित्सा प्रमाण-पत्र को जारी करते समय रोगी की दो पहचान चिन्ह लिखना और हस्ताक्षर कराना आवश्यक है ?
5. चिकित्सा प्रमाण-पत्र किस फार्मेट पर जारी किया जाए ?

6. रजिस्ट्रेशन नम्बर कहाँ-कहाँ लिखना जरूरी है।
7. क्या डॉक्टर "No Cure No Payment" का इकरार अपने मरीज से कर सकता है ?
8. क्या कोई रोगी डॉक्टर को उसका इलाज करने के लिए बाध्य कर सकता है ?
9. क्या मरीज इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है ?
10. यदि कोई मरीज डॉक्टर की फीस चुकाए बगैर उसकी क्लिनिक/ अस्पताल से भागना चाहे, तब डॉक्टर का क्या कर्त्तव्य है ?
11. गर्भवती महिला की डिलीवरी के लिए उसका नियमित चैकअप करने वाले डॉक्टर की जगह दूसरा डॉक्टर डिलीवरी कराने आ जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा ?
12. मरीज कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जावे, इसका क्या उपाय है ?
13. क्या अपने अस्पताल या नर्सिंग होम में कोई चिकित्सक दवाई की दुकान चला सकता है ?
14. क्या कोई डॉक्टर किसी मरीज को सुखपूर्वक मृत्यु प्रदान कर सकता है ?
15. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए क्या विनियम बनाए गए हैं ?
16. इन रेग्यूलेशन्स में क्या-क्या संशोधन आवश्यक हैं ?

राज्य की मेडिकल कौंसिल सभी नये डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करते समय उनसे एक घोषणा-पत्र लेती है कि उन्होंने मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के इन रेग्यूलेशन्स को पढ़ लिया है और वह मरीजों का इलाज करते समय इनका पूरा-पूरा ध्यान रखेगा, परन्तु उन डॉक्टरों का क्या किया जाए, जिनका रजिस्ट्रेशन बरसों पहले हो चुका है और जिन्होंने आज तक इन रेग्यूलेशन्स को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं समझी है ? इस दिशा में डॉक्टरों की विभिन्न एसोसिएशन, सोसायटी और संस्थाओं ने क्या प्रयास किए, यह भी आज विचारणीय है।

सत्यनारायण पाटोदिया
093148-77066